(वाद सं0–1894/4/2021)

22.07.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, राजेन्द्र प्रसाद राय, की अधिग्रहित जमीन का जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दस वर्ष बीत जाने के उपरांत भी मुआवजा नहीं दिये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के प्रतिवेदनानुसार बेगूसराय जिलान्तर्गत गंगा नदी के मुंगेर तटबंध के कि0मी0 6.00 से 7.00 के बीच झमटिया स्थल पर कटाव निरोधक कार्य (एजेन्डा संख्या–107/267) के भू–मुआवजा हेतु रु0 9,71,597.00 का आवंटन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय को उपलब्ध करा दिया गया है।

अब, जबकि परिवादी के अधिग्रहित भूमि का नियमानुसार मुआवजा कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय को उपलब्ध करा दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (पृ0–9–7/प0) की प्रति के साथ आज पारित आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बेगूसराय को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक